

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1149/2019/

दिनांक :

आदेश

श्री हनुमान सहाय शर्मा, वरि.लैब टेक्नीशियन, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी जिनकी जन्म तिथि 01.01.1960 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.12.2019 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है इनके विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

8

( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 02/08/19

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1149/2019/ 471

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन-कोटा।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
5. श्री हनुमान सहाय शर्मा, वरि.लैब टेक्नीशियन को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

7

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान, जयपुर